एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता

अ0शा0पत्रांकः 979 /अनु0प्र0/एम–42
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
फैक्स नं0– 0522–2200162

लखनऊः दिनांक : 26.10.,2016

विषय :–दिनॉक 18.10.2016 को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत सिचाई विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ सिंचाई विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक दिनॉक 18.10.2016 की कार्यवृत्त संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अनुश्रवण प्रकोष्ठ में ई–मेल के माध्यम से तथा हस्ताक्षर युक्त हार्डकापी भी देने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

सादर

भवदीय,
NKSharma 26/10/2016
(एन0के0 शर्मा)
26/10/16

सर्वश्री

1 सुवीर कुमार शर्मा,
मुख्य अभियन्ता (गंगा),
सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
2 ए0के0 बंसल,
मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़।
3 एम0पी0एस0 वर्मा,
मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद।
4 बलराम सिंह यादव,
मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर।
5 एस0एन0 शर्मा,
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहा0) लखनऊ।
6 ओम वर्मा,
मुख्य अभियन्ता (शारदा) लखनऊ।
7 एस0एन0पी0 सिंह,
मु0अभि0 (कनहर) मिर्जापुर।
8 नाम से,
मुख्य अभियन्ता (सज्जा) लखनऊ।
9 नवनीत कुमार,
मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी।
10 विनय कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता (बेतवा परि0) झांसी।
11 भानू प्रताप सिंह,
मुख्य अभियन्ता (सरयू–प्रथम), फैजाबाद।
12 विजय कुमार सिंह,
मुख्य अभियन्ता (सरयू–द्वितीय) गोण्डा।
13 नाम से,
मुख्य अभियन्ता, (बाढ़0 सहा0 परि0), लखनऊ।
14 श्रीप्रकाश कौशिक,
मुख्य अभियन्ता, (परिकल्प), लखनऊ।
15 सुरेन्द्र कुमार पाल,
मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक (वाल्मी)लखनऊ।
16 एन0के0 श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता, (परिवाद) लखनऊ।
17 शरत गोयल,
मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ।
18 एस0के0 त्रिवेदी,
मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0) बाढ मण्डल,लखनऊ।
19 ब्रजेन्द्र कुमार,
मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ।
20 ओ0पी0 श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता (पैक्ट) लखनऊ।
21 संग्राम सिंह,
मुख्य अभियन्ता (बाणसागर),इलाहाबाद।
22 आर0पी0 यादव,
मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर।
23 राजेन्द्र सिंह सोन,
मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी।
24 सुबोध रंजन सक्सेना,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप) वाराणसी।
25 नाम से,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ।
26 बी0के0 मिश्रा,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ।
27 पी0के0 वर्मा,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व), फैजाबाद।
28 जे0पी0 द्विवेदी,
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), लखनऊ।
29 गुलेश चन्द्र,
मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला।
30 आर0आर0 खान,
मुख्य अभियन्ता (बजट), लखनऊ।

पत्रॉकः 979 /अनु0प्र0/एम–42/ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
3– प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य अभियन्ता,(स्तर–1)परिकल्प एवं शोध/नियोजन/सिंचाई एवं जल निकास,सि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता स्तर–1,पश्चिम मेरठ/दक्षिण झॉसी/विन्ध्याचल इलाहाबाद/पूर्व गोरखपुर/रुहेलखण्ड बरेली/परिकल्प एवं शोध लखनऊ/नियोजन लखनऊ/कार्मिक लखनऊ/मध्य लखनऊ/यांत्रिक लखनऊ सिंचाई विभाग, उ0प्र0।

NKSharma 26/10/2016
(एन0के0 शर्मा)
26/10/16 मुख्य अभियन्ता

दिनांक: 18.10.2016 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

1— **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणायें :**

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.03.2012 से 30.09.2016 तक सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कुल 65 घोषणायें की गई हैं। जिनमें से 22 घोषणायें पूर्ण की जा चुकी है तथा 43 घोषणायें पूर्ण होनी शेष है। निर्देशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं में से जिन परियोजनाओं पर पूर्ण धनराशि प्राप्त हो गई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही सम्बन्धित संगठन)

2— **सींच :**

खरीफ 1424 फसली (2016—17) में सींच का कुल वार्षिक लक्ष्य 3568.70 हजार हेक्टे0 निर्धारित है जिसके के सापेक्ष दिनांक 30.09.2016 तक 3181.03 हजार हेक्टेयर सींच हुई है जो 89% है। लक्ष्य के सापेक्ष किसी भी संगठन की प्रगति शतप्रतिशत नहीं है, सबसे कम प्रगति वाले संगठनों में से गण्डक संगठन (51%) तथा नलकूप पश्चिम संगठन (47%) है। निर्देशित किया गया कि खरीफ 1424 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सींच कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

3— **मनरेगा :**

वित्तीय वर्ष 2016—17 में मनरेगा के अन्तर्गत रू0 200.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष माह सितम्बर 2016 तक रू0 39.03 करोड़ लागत की 1487 परियोजनायें सम्बन्धित जिलों में प्रस्तुत की गयी है। माह सितम्बर 2016 तक मनरेगा मद में रू0 14.84 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 7.06 करोड़ व्यय हुए हैं, व्यय की कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि जो धनराशि उपलब्ध है उसे निर्धारित समय—सीमा के अन्दर व्यय करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि सभी संगठन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप परियोजनायें बनाकर सम्बन्धित जिलों में प्रस्तुत करें तथा धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

4— **जूनियर इंजीनियर की हड़ताल के सम्बन्ध में :**

जूनियर इंजीनियर की हड़ताल के कारण सिल्ट सफाई के कार्य नहीं हो पा रहें हैं। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में अपनी आख्या मुख्यालय को उपलब्ध कराये जिससे उत्तर प्रदेश शासन को स्थिति से अवगत कराया जा सकें।

कार्यवाही क्षेत्रीय संगठन

5— **व्यय :**

वित्तीय वर्ष 2016—17 में, मद संख्या 4700 के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2016 तक आवंटित धनराशि रू0 2395.12 करोड़ के सापेक्ष रू0 1625.44 करोड़ व्यय किये गये। मद संख्या 4701 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू0 404.34 करोड़ के सापेक्ष रू0 337.74 करोड़ व्यय किये गये।

मद संख्या 4711 (बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण) मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू0 268.15 करोड़ के सापेक्ष रू0 161.13 करोड़ व्यय किये गये हैं। मद संख्या 2711— बाढ़ अनुरक्षण, जलोत्सारण (ड्रेनों की सिल्ट सफाई) एवं सोडिक ड्रेनों के अनुरक्षण कार्यो हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय संगठनों को प्राधिकृत धनराशि रू0 108.64 करोड़ है जिसके सापेक्ष रू0 50.37 करोड़ व्यय किये गये।

निर्देशित किया गया कि विभिन्न मदों में जिन परियोजनाओं पर धनराशि प्राप्त हुई है उसे निर्धारित समय सीमा में व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

6— **वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु बजट व्यवस्था :**

वित्तीय वर्ष 2017—18 में बजट व्यवस्था हेतु मुख्य अभियन्ताओं से प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं, परन्तु कई संगठनों से वर्ष 2017—18 में बजट व्यवस्था के प्रस्ताव अभी तक प्र. .त नहीं हुए है यह

21/10/16 E.E. SE(m)

स्थिति ठीक नहीं है। निर्देशित किया गया कि बजट व्यवस्था के प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 20.10.2016 तक निश्चितरूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही समस्त संगठन

7— **ए0आई0बी0पी0 :**

ए0आई0बी0पी0 पोषित परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से जो धनराशि प्राप्त की जानी है, उस धनराशि को प्राप्त करने हेतु प्रयास करें जिससे धनराशि समय से प्राप्त हो सकें तथा कार्य समयान्तर्गत पूर्ण हो सकें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

8— **सिंचाई विभाग एक झलक पुस्तिका का प्रकाशन :**

विभाग द्वारा सिंचाई विभाग एक झलक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है इसके लिए संगठनों से सूचना मांगी गयी थी परन्तु अनेक अनुस्मारक लिखने के बाद भी अभी तक कुछ संगठनों द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गयी है, यह स्थिति ठीक नहीं है। निर्देशित किया गया पुस्तिका हेतु वांछित सूचनायें तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

9— **महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति:**

माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय संगठनों को निर्देशित किया गया था कि चल रही महत्वूपर्ण परियोजनाओं की सूचना उपलब्ध करायें परन्तु कई संगठनों द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है इस पर रोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि विभाग में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

10— बन्धों आदि के आकड़ो का डाटा बैंक तैयार किया जाना है डाटा अपलोड किये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु कुछ संगठनों द्वारा डाटा अपलोड करने हेतु नोडल अधिकारी नामित नहीं किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि बंधों आदि के आकड़ो को अपलोड करने हेतु अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करें तथा यदि डाटा अपलोड करने हेतु किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो मुख्य अभियन्ता (आई0एस0ओ0) से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही क्षेत्रीय संगठन

11— **PMGYS पर सन्दर्भित प्रकरणों का निस्तारण :**

PMGYS पर सन्दर्भित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति ठीक नहीं है। अब तक विभाग से सम्बन्धित 81 सन्दर्भ लम्बित हैं जिनमें से मात्र 8 सन्दर्भो का निस्तारण हुआ है। निर्देशित किया गया कि सन्दर्भो के निस्तारण में यदि कोई परेशानी हो रही हो तो मुख्य अभियन्ता (आई0एस0ओ0) से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर ले।

कार्यवाही समस्त संगठन

12— **समन्वित निवारण शिकायत प्रणाली, (IGRS) उ0प्र0 :**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित जन–सुनवाई हेतु सूचना तकनीक का प्रयोग कर एक समन्वित शिकायत निवरण प्रणाली बनायी गयी है। इस प्रणाली के माध्यम से जो शिकायतें दर्ज होगीं उनका निस्तारण सम्बन्धित संगठन द्वारा किया जायेगा। शिकायत के निस्तारण की आख्या वेब–पोर्टल पर अपलोड की जायेगी, अपलोड करने में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसकी जानकारी सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ से दूरभाष के माध्यम से प्राप्त कर लें। जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा उ0प्र0 शासन में उच्चस्तर पर की जा रही है।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

13— **ई–परियोजना प्रबन्धन :**

ई–परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज विकास विभागों के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग नोडल अधिकारी नामित है उनके द्वारा प्रत्येक बुधवार

को सायं 4.00 बजे समीक्षा की जाती है, जिसमें विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। विभाग की 88 परियोजनायें ई–पोर्टल पर दर्ज हैं जिनमें से काफी परियोजनाओं में माईल स्टोन दर्ज नहीं है। निर्देशित किया गया कि परियोजनाओं को नियमितरूप से ई–पोर्टल पर अपलोड करते हुए परियोजनावार धनावंटन एवं व्यय की अद्यतन स्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें।

ई–परियोजनाओं की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव महोदय द्वारा 24 अक्टूबर 2016 को सम्भावित हैं। अतः 24 अक्टूबर के पूर्व ई–पोर्टल पर परियोजनाओं के माइल स्टोन, धनावंटन, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

14– **वाद :**

विभिन्न माननीय न्यायालयों में 8487 वाद लम्बित है, जिसमें 8162 वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जा चुका है, कुल अवशेष वाद 325 हैं जिनमें से 84 वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है तथा 241 वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जाना है। जिसमें से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 02, माननीय उच्च न्यायालय में 139, माननीय लोक सेवा अधिकरण में 26, मा0 श्रम न्यायालय में 45 तथा अन्य में 29 वाद अवशेष हैं जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है। निर्देशित किया गया कि लम्बित वादों में प्राथमिकता पर प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करते हुए प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित किया जाय।

अवमाननावाद :

विभिन्न माननीय न्यायालयों में 07 अवमाननावाद लम्बित है जिनमें माह सितम्बर, 2016 तक प्रतिशपथ–पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जिनमें से 05 अवमाननावाद माननीय उच्च न्यायालय में तथा 02 अवमाननावाद माननीय लोक सेवा अधिकरण में लम्बित है जिनमें प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि लम्बित अवमाननावादों में प्राथमिकता पर प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करते हुए प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित किया जाय तथा समय–समय पर उच्चस्तर पर भी समीक्षा करते रहें।

माननीय न्यायालयों में लम्बित वादों में सिंचाई विभाग के अनुसार 325 तथा एन0आई0सी0 के वेबसाइट के अनुसार दिनांक 18.10.2016 तक 1277 वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल नहीं किये गये हैं, एन0आई0सी0 के अनुसार प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने में काफी भिन्नता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। लम्बित वादों की समीक्षा शासन द्वारा लगातार की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सी0ए0 दाखिल करने की समीक्षा कर लें तथा जिन अवमाननावादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाये उनकी सूचना एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भिन्नता समाप्त हो सकें।

एन0आई0सी0 की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 30.9.2016 से 17.10.2016 के मध्य जिन जनपदों में प्रगति न के बराबर हैं उनमें से अधिशासी अभियन्ता अपर खण्ड आगरा नहर आगरा मथुरा में 49 के सापेक्ष 49, अधिशासी अभियन्ता लखनऊ खण्ड–2 शारदा नहर लखनऊ में 159 के सापेक्ष 158, अधिशासी अभियन्ता बेलन नहर खण्ड इलाहाबाद में 126 के सापेक्ष 117, अधिशासी अभियन्ता कानपुर खण्ड निचली गंगा नहर कानपुर में 28 के सापेक्ष 34, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड गोरखपुर में 71 के सापेक्ष 66, अधिशासी अभियन्ता झांसी खण्ड बेतवा नहर झांसी में 32 के सापेक्ष 30 तथा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड महोबा में 29 के सापेक्ष 29 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति अपलोड नहीं है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

15– **प्रपत्र– 1, 2 व 3 :**

शासन स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों एवं माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री जी के समीक्षा हेतु, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा 1, 2 व 3 पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थें परन्तु अधिकांश संगठनों

21/10/16
EE
SE(M)

से सूचना अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि निर्धारित प्रोफार्मा 1, 2 व 3 पर सूचनायें प्रत्येक माह समय से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही क्षेत्रीय संगठन

16– **आरोप–पत्र :**

विभाग में क्षेत्रीय संगठनों के स्तर पर 50 आरोप–पत्र अपेक्षित हैं। क्षेत्रीय संगठनों को निर्देशित किया गया कि उनके संगठन में जो आरोप पत्र लम्बित है उनकी समीक्षा कर लें तथा आरोप पत्रों का गठन कर तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि जिन अधिकारियों द्वारा आरोप पत्र का गठन किया जाना है, तथा जो आरोप लगाये गये हैं उनका पूर्णरूप से परीक्षण कर आरोप–पत्र का गठन करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

17– **वृक्षारोपण :**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वृक्षारोपण के प्रगति की सूचना क्षेत्रीय संगठनों द्वारा नहीं प्रेषित की जा रही है, यह स्थिति ठीक नहीं है। निर्देशित किया गया कि सभी क्षेत्रीय संगठन वृक्षारोपण की प्रगति तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही क्षेत्रीय संगठन

18– **कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी (काडा) :**

कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी (काडा) की समीक्षा हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है। निर्देशित किया गया कि कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी (काडा) से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही मु0अ0 (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)

धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

अधिशासी अभियन्ता
अनुश्रवण प्रकोष्ठ
सि0 भवन एन0, लखनऊ

अधीक्षण अभियन्ता
अनुश्रवण प्रकोष्ठ
सि0 भवन एन0, लखनऊ

मु0 अ0 (अनु0 एवं मूल्याँ)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
नियोजन

(सी0 डी0 राम)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष